(24)

संख्या– /XXVIII–5–2010–145/2007

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5

देहरादून, दिनांक, 29 मार्च, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य योजना के अन्तर्गत शव विच्छेदन गृह, देहरादून के भवन निर्माण के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/45/2008/35822 दि0 27.12.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय, राज्य योजना के अन्तर्गत शव विच्छेदन गृह, देहरादून के निर्माणाधीन भवन हेतु मूल आगणन ₹12.00 लाख के सापेक्ष पुनरीक्षित आगणन की आंकलित धनराशि ₹37.50 लाख के टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि ₹36.54 लाख पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अभी तक अवमुक्त ₹12.00 लाख के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹15.00 लाख (रूपया पन्द्रह लाख मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– शव विच्छेदन गृह, देहरादून के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति, नवम्बर, 2007 में प्रदान करते हुए ₹12.00 लाख की सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी गयी थी, कदाचित् भूमि विवाद होने के कारण नये स्थान पर वर्ष 2010 में भूमि उपलब्ध हुई। उक्त के दृष्टिगत पूर्व में अवमुक्त राशि में अध्यावधिक व्याज की धनराशि को भी समायोजित किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि आहरित कर निर्माण ईकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चकराता, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृति संबंधी मूल शाासनादेश की सभी शर्ते यथावत् रहेंगी।

3– धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित योजना में मूल/पुनरीक्षित स्वीकृति की समयसीमा लागत, लक्षित परिणामों के अनुरूप प्रगति हो रही हो। धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर योजना के सम्बन्ध में सघन मूल्यांकन/परीक्षण किया जायेगा।

4– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायगा।

5– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति निमयावली के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।

7– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

8– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। साथ ही स्वीकृत कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय तथा अब तक हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

9– कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराये जाने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.08 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

10— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय—व्ययक वर्ष 2010—11 के अनुदान सं0—12 लेखाशीर्षक 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01—शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 110—अस्पताल एवं औषधालय, 03—शव विच्छेदन गृहों का निर्माण 00—आयोजनागत, 24— वृह्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

11— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0— 864(पी)/XXVII(3)/2011, दिनांक 28 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या—573 (1)XXVIII—5—2011—145/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2— निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
4— स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5— जिलाधिकारी, देहरादून ।
6— वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7— मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
8— मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
9— अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री ।
10— निर्माण ईकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून ।
11— बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
12— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0—3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
13— मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
14— गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव